दिल्ली जल बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 2 सितम्बर, 1998 को सांय 3.00 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभागार वरुणालय फेज द्वितीय, झंडेवालान, नई दिल्ली–110 005 में हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्री साहिब सिंह, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
3.	श्री बालेश्वर राय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य दि0ज0बोर्ड
4.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दि0न0नि0	" "
5.	श्री आर0 सी0 वर्मा, सदस्य, दि0न0नि0	" "
6.	श्री छन्नूमल, सदस्य, दिल्ली छावनी	" "
7.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	" "

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 26.8.98 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और हस्ताक्षर किए गए।

संकल्प संख्या 111

मद संख्या 113 — धौला कुआं चौराहा पर सेतु निर्माण हेतु 42" तथा 1500 मि.मि. व्यास की पानी की लाइनों को हटाकर बिछाना (प्रशासनिक स्वीकृति हेतु)

कृ0प030

मुख्य अभियन्ता (सी) तृतीय के पत्र क्रमांक तक0/98/74 दिनांक 28.8.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने संकल्प किया कि उपरोक्त कार्य की कुल अनुमानित लागत रु0 357.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

<u>संकल्प संख्या 112</u>

मद संख्या 114 दिल्ली जल बोर्ड में उप–लेखा एवं वित्त अधिकारी के पद पर नियुक्ति ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./98/39 दिनांक 31.8.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बोर्ड ने संकल्प किया कि श्री डी. आर. माही, स. मु. लेखापाल की पदोन्नति तदर्थ आधार पर उप–लेखा एवं वित अधिकारी के पद पर वेतनमान रु0 10,000–325–15200 एवं सामान्य भत्तों पर एक बर्ष या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाये, जो भी पहले हो, की स्वीकृति दी जाती है।

<u>संकल्प संख्या 113</u>

मद संख्या 115 केशोपुर अवजल उपचार संयत्र पर मैकेनिकल और बिजली के उपकरणों सहित सबमर्शिबल पम्प सेट की स्थापना परीक्षण और चालू करना ।

मुख्य अभियंता (मल निकासी) के पत्र क्रमांक इन्जी./98/75 में दिये गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने संकल्प किया कि इस कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस कार्य को करने के लिए मै0 जेस0 इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा0 लि0 को बातचीत के आधार पर प्रस्तुत 60.00 लाख की निम्नतम दर पर तथा फर्म के प्रस्ताव की निविदा आमंत्रण सूचना में निबंधनों और शर्तो, विनिदेशों और आज की तिथि तक अन्य परिवर्तनों/ स्पष्टीकरणों सहित स्वीकृति दी जाती है।

<u>अन्य मुददे</u>

1. चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया कि पीतमपुरा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डाले गये बैठे हुये सीवरों को ठीक करने के शेष भुगतान के लिए डी0डी0ए0 को माँगपत्र प्रस्तुत किया जाये। बोर्ड को दिल्ली नगर निगम, दि0 वि0 प्रा0 एवं लोक निर्माण विभाग के कार्य डिपाजिट वर्क के ही तौर पर पहले के निर्णय के अनुसार किये जाये ।

2. जल प्रभार के विषय पर चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि किसी भी रिहायशी भवन में जहाँ रहने के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती हों मगर व्यापार के लिए प्रयोग में लाए गए स्थान या भाग में पानी की टूंटी न हों तो उस पूरे भवन पर व्यवसायिक दर पर पानी की वसूली करना उचित नहीं हैं। यदि कोई उपभोक्ता रिहायसी बिल्डिंग के व्यापार वाले खण्ड/स्थान के लिए अलग से एक गैर-घरेलू कनेक्शन संबधित श्रेणी में नियम के अंतर्गत नहीं लिया हो तो जब तक अलग से दूसरी कैटेगरी का कनेक्शन न प्राप्त करले तब तक उससे निम्नतम गैर-घरेलू दर पर सम्बंद्ध श्रेणी के अंतर्गत अलग से वसूली की जाए।

3. पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार सीमेंट, स्टील, पाइप इत्यादि की सीधी खरीद संकल्प संख्या 87 दिनांक 12.8.98 से बन्द कर दी गई है । इस संदर्भ में चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि जो कार्य उपरोक्त संकल्प से पहले ही प्रगति पर है उनके लिए उपरोक्त समान की यदि कमी पड. रही हो और जहॉ भी आवश्यकता हो इसकी आपूर्ति कान्ट्रेक्टर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति से करा दी जाये। ऐसे मामलों में वस्तु सामग्री का रेट विभाग द्वारा तय रेट ही होगा ।

4. दोषयुक्त मीटरों को बदलने के कार्य को युद्वस्तर पर करने के आदेश दिए गए। इस संबध में देश के मीटर उत्पादकों से बहुत कम समय में रेट लेकर उन्हें शार्ट-लिस्ट किया जाये और मीटरों की खरीद सुनिश्चित् की जाये ।

5 बोर्ड की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि विशिष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियो को उनके प्रशंसनीय कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्वि देकर उत्साहित किया जाये। इसी प्रकार अयोग्य व अकर्मठ कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये जिसमें अनिवार्य सेवानिवृति के प्रावधान को भी क्रियान्वित किया जाये ।

6. पहले से किये गये गहरे हैंडपम्प लगाने के संकल्प पर चर्चा करते हुए इसे युद्वस्तर पर पूरा करने के आदेश दिए गये । निविदा प्रक्रिया 15.9.98 से पूर्व पूर्ण करने व यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।

क्र0प030

7. एक–2 मुख्य अभियंता एक–2 सदस्य को वाटर एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कराने का कार्यक्रम सुनिश्चित् करेगें एवं आगमी मिटिंग के पूर्व उसे पूरा करेगें।

8. ऐजेंड़ा मदों की संख्या में कमी को देखते हुए यह कहा गया कि इस आशय का एक सर्टिफिकेट संबधित अधिकारियों से प्राप्त किया जाये कि बोर्ड बनने के पूर्व का अब कोई मामला लंबित नही है।

9.

सचिव

अध्यक्ष

दिल्ली जल बोर्ड